सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 589 राँची, बुधवार

21 श्रावण, 1937 (श०)

12 **अगस्त**, 2015 (ई०)

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

अधिसूचना

7 अगस्त, 2015

***अ०सं०*-.02/कृ०नि०स्था०-33/10-2983**—कृ० झारखण्ड कृषि सेवा *(*भर्ती एवं प्रोन्नति*)* नियमवली, *2013 (*अधि०सं०-*72* दिनांक-*08.*जनवारी*14)* की कंडिका-*21.3* एवं *22* में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली एवं अधिसूचना सं०-*1999* दिनांक-*09* जुलाई, *14* के द्वारा किये गये आंशिक संशोधन को निम्न रूप से संशोधित करते हुए प्रतिस्थापित किया जाता है*:*-

1. झारखण्ड कृषि सेवा *(*भर्ती एवं प्रोन्नति*)* नियमावली, *2013 (*अधिसूचना सं०-*72* दिनांक-*08* जनवरी, *2014)* की *4.1* के पश्चात कंडिका-*4.1(i)* के रूप में निम्न प्रावधान पदस्थापित किया जाता है*:-* *"*प्रथम पत्र की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। द्वितीय पत्र की लिखित परीक्षा विषयनिष्ठ प्रकार की होगी जो स्नातक स्तर का होगा। लिखित एवं मौखिक परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हतांक का निर्धारण राज्य सरकार ***(***कार्मिक***,*** प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग***)*** द्वारा निर्धारित परिपत्र के आलोक में किया जाएगा।*"*

2. झारखण्ड कृषि सेवा *(*भर्ती एवं प्रोन्नति*)* नियमावली, *2013 (*अधिसूचना सं०-*72* दिनांक-*08* जनवरी, *2014)* की कंडिका-*6.1* में अंकित प्रावधान के पश्चात् निम्न रूप में जोड़ा जाता है*:-* *"*उम्र निर्धारण हेतु कट ऑफ डेट कार्मिक***,*** प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक-***13026*** दिनांक-***27*** नवम्बर***,*** 20***12*** की कंडका-***3 (iv)*** के अनुसार पहली अगस्त रहेगी एवं यह प्रावधान कार्मिक***,*** प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुरूप मान्य होगा।*"*

3. झारखण्ड कृषि सेवा *(*भर्ती एवं प्रोन्नति*)* नियमावली, *2013 (*अधिसूचना सं०-*72* दिनांक-*08* जनवरी, *2014)* की कंडिका-*8.4* में परन्तुक रूप में निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है-*"*परन्तु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के फलस्वरूप याचित अधियाचना के *5 (*पाँच*)* गुणा अथवा इससे कम आवेदन प्राप्त होते हैं, तो आयोग ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के रूल्स ऑफ प्रोसिज्योर, *2002* के अध्याय-*4* में निहित प्रावधान के आलोक में करेगा।

4. झारखण्ड कृषि सेवा *(*भर्ती एवं प्रोन्नति*)* नियमावली, *2013 (*अधिसूचना सं०-*72* दिनांक-*08* जनवरी, *2014)* की कंडिका-*8.7* में *"*अंकित अनुशंसित मेघा सूची विभाग में प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक वैध मानी जाएगी*"* को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर*"*किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियाँ अगली अधियाचना के लिए अग्रणित की जाएगी।*"*प्रतिस्थापित किया जाता है।

5. झारखण्ड कृषि सेवा *(*भर्ती एवं प्रोन्नति*)* नियमावली, *2013 (*अधिसूचना सं०-*72* दिनांक-*08* जनवरी, *2014)* की कंडिका-*8.7* के बाद कंडिका-*8.8* के रूप में निम्न

प्रावधान प्रतिस्थापित किया जा सकता हैं:- "आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में विभिन्न आरक्षण कोटि के उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने का अवसर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र ज्ञाप सं०-2959 दिनांक-03 अप्रैल, 2013 के अनुसार देय होगा एवं एतद संबंधी राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची) द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र प्रभावी होगा।"

6. अधिसूचना सं०-1999 दिनांक-09 जुलाई, 2014 के द्वारा झारखण्ड कृषि सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2013 की कंडिका-8.2 में विभिन्न कोटियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अंत में अंकित "etc" को विलोपित किया जाता है।

7. झारखण्ड कृषि सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2013 (अधिसूचना सं०-72 दिनांक-08 जनवरी, 2014) एवं संशोधित अधिसूचना सं0-1999 दिनांक-09 जुलाई, 2014 इस हद तक संशोधित समझी जाएगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 नितिन मदन कुलकर्णी,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित
झारखण्ड गजट (असाधारण) 589—50 ।